राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान
डॉ. के एस कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली - 110012

सं.निस्केयर/राभा/सस/2013 दिनांकः 28.11.2013

कार्यालय ज्ञापन

संदर्भ : सं. नि./राभा/2013-14 दिनांक 26.06.2013 (व्यक्तिशः आदेश)

संसदीय राजभाषा समिति के दिनांक 16.04.2013 को संस्थान के निरीक्षण में पाया गया कि प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों द्वारा अपना कार्य हिन्दी में न कर राजभाषा नियमों का उल्लंघन किया गया है (प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों में वे सभी कर्मिक सम्मिलित हैं जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से प्राप्त की है अथवा स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था)।

मुख्यालय के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी डॉ. पूरन पाल जी ने संस्थान में दिए गए व्याख्यान के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा किये गये जा रहे कार्यों में अपना कार्य की परिभाषा देते हुए बताया है कि वैज्ञानिकों द्वारा किये जा रहे अपने कार्य यथा प्रशासनिक कार्यों जिसमें नोटिंग/ड्राफ्टिंग, आवेदन पत्र, जीपीएफ आवेदन पत्र इत्यादि कार्य हिन्दी में करना अनिवार्य है, इसमें उनके द्वारा किये जा रहे अनुसंधान पत्रिका सम्बन्धी कार्य सम्मिलित नहीं हैं।

अतः सभी वैज्ञानिकों/तकनीकी कार्मिकों से अनुरोध है कि वे अपना कार्य (प्रशासनिक कार्य) यथा संभव हिन्दी में करने का प्रयास करें। उनके द्वारा निदेशक महोदय तक भेजे जाने वाली टिप्पणियां (noting) इत्यादि हिन्दी में भेजी जाएं तथा वे अपने हस्ताक्षर भी अनिवार्य रूप से हिन्दी में करें। अपने द्वारा भेजे जा रहे पत्रों को यथासंभव हिन्दी में भेजे अथवा उनका अग्रेषक पत्र (forwarding letter) हिन्दी में भेजें तथा लिफाफों पर पते भी हिन्दी में लिखें।

अतः सभी सभी वैज्ञानिकों/तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपना अधिकतम प्रशासनिक कार्य हिन्दी में करने का प्रयास करें ताकि संसदीय राजभाषा समिति के आगामी निरीक्षण के दौरान अवांछित स्थिति से बचा जा सके।

कृपया अपने द्वारा तथा अपने विभाग/अनुभाग में किये जा रहे हिन्दी कार्यों का ब्यौरा भी रखें तथा डाक रजिस्टर भी बनाएं।

28/11/13

(सिमेश वर्मा)
प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपिः
सभी वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी